राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर इसका प्रभावः लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन

लघु शोध प्रबन्ध

(सारांशिका)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में
एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत
मास्टर ऑफ फिलॉसफी
(एम0फिल0)

शोधार्थी

शशि कुमारी रावत

नामांकन सं0 967/15

शोध निर्देशक

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ0प्र0)

2019

सारांशिका

आधारपाठिका

भारत मे आधी से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। जो कि देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 19.1 प्रतिशत है।जनगणना (2011) युवा देश के सामजिक–आर्थिक विकास मे मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद भी युवा रोजगार समाज के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा समय–समय पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिससे उन्हे श्रम बाजार मे बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। इसके बावजूद आज भी उन्हे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने मे कई प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान मे जिस प्रकार की शिक्षा युवाओं को प्रदान की जा रही है वह उन्हे शिक्षित तो बना रही है परन्तु कौशल शिक्षा की कमी के कारण वह उन्हे अच्छा रोजगार प्रदान करने मे पूरी तरह से सफल साबित नही हो पा रही है। इसका एक कारण यह है कि उनमे रोजगार योग्य आवश्यक कौशल एंव व्यवसायिक शिक्षा की कमी है।जनगणना (2011) के अनुसार देश मे 15 से 29 वर्ष के बीच 8.9 प्रतिशत युवा कौशल शिक्षा की कमी के कारण बेरोजगार हैं। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन 2014, के अनुसार भारत मे औपचारिक रूप से कुशल रोजगार का वर्तमान अनुपात 2 प्रतिशत ही है तथा सम्पूर्ण युवा आबादी का लगभग 34 प्रतिशत युवा ही श्रम बाजार मे रोजगार प्राप्त करने योग्य तैयार हो पाते हैं। अतः इन सभी समस्याओं को देखेते हुए युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है

कि उनको रोजगार योग्य उपयुक्त कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके।

शोध अध्ययन पद्वति एंव क्षेत्र

प्रस्तावित शोध अध्ययन राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर इसका प्रभावः लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्ययन पर आधारित है। इसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के दो जोनो क्रमशः आलमबाग जोन–5 तथा अलीगंज पुरनिया जोन–3 को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। जिसके अर्न्तगत दोनो जोनो से क्रमशः 110 उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन स्वरूप चयनित किया गया है। प्रत्येक जोन से क्रमशः एक–एक कौशल विकास संस्थाओं से 47 तथा दूसरी कौशल विकास संस्था से 63 उत्तरदाताओं को अध्ययन स्वरूप चयनित गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन से एक कौशल विकास संस्था से 3 कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत 47 तथा दूसरी कौशल संस्था से 63 विद्यार्थियों को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोध अध्ययन स्वरूप गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनो प्रवृत्तियों को सम्मलित किया गया है। जिसमे सर्वेक्षण, समूह परिचर्चा गहन साक्षात्कार पद्धतियों को सम्मीलित किया गया है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015)

कौशलपूर्ण ज्ञान किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास के मुख्य आधार हैं। आज के युवा देश के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में युवाओं को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है वह युवाओं का कौशल विकास करने तथा उन्हे रोजगार प्रदान करने में पूरी तरह से सफल नही हो पा रही है। इसका मुख्य कारण उनमे शैक्षिक स्तर पर कौशलपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की कमी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (2010) की रिपोर्ट अनुसार केवल 10.1 प्रतिशत युवा ही श्रम बल का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। वही श्रम बल का 25.6 प्रतिशत युवा ही औपचारिक रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। युवा कौशल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरूआत (2009) में की गई। कौशल विकास नीति (2009) की शुरूआत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बोर्ड एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद तथा अन्य विभिन्न मंत्रालयों के साझा सहयोग से की गई थी। इसके साथ ही विभिन्न कौशल मंत्रालयों द्वारा कौशल विकास नीति को प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा की मंजुरी भी दी गयी थी। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अर्न्तगत ज्यादा से ज्यादा संख्या में निचले तबके के समूहों विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण, शहरी पुरूषों एवं हाशिये पर रहने वाले समूहों तथा अन्य सरकारी एंव निजि क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों तक कौशलपूर्ण प्रशिक्षण की पहुचँ निश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के *अर्न्तगत* राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण अधिनियम1961 के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे–

आई0टी0आई0,व्यवसायिक स्कूल, पॉलिटेक्निक्स एंव विभिन्न रोजगार पाठ्यक्रमों को प्राशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम से जोड़ा गया है। साथ ई0 लर्निंग, वेब आधारित शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा को भी बढावा दिया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की प्रत्येक पाँच वर्ष मे समीक्षा को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता की शुरूआत जुलाई (2015) मे विश्व युवा दिवस के अवसर पर की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास एंव उद्यमिता नीति (2015) राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) का अधिग्रहण करती है। प्रस्तुत नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) की शैक्षिक चुनौतियों का गुणवत्तापूर्ण मानको को ध्यान मे रखते हुए समाधान उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्देश्य देश में कौशल दिशा निर्देशो को ध्यान मे रखकर कौशल प्रशिक्षण के सभी मानकों को एक छतरीनुमा संरचना प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति अपने कार्यो का निर्वाहन विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे–एन0जी0ओ0 निजि प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे– महिन्द्रा कौशल विकास केंन्द्र एवं अन्य कौशल उद्यमियों के साथ मिलकर यह नीति अपने प्रयासो मे सफलता प्राप्त कर रही है। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत युवा कौशल कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ ही इसे निजि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रो से भी जोड़ा गया है। जिसमे मिन्त्रा, हीरो होन्डा शोरूम पिज्जा हट, बिग बाजार, मोबाइल रिपेयर शोरूम एच0डी0एफ0सी0 बैंक स्पेन्सर,टेलीकॉम सेक्टर एंव अन्य विभिन्न रोजगार के क्षेत्रों से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को 'कौशल भारत' के अर्न्तगत केंन्द्रीय स्तर प्रधानमंत्री कौशल विकास

योजना तथा राज्य स्तर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से जोड़ कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रस्तुत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति कौशल प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दुओं जैसे कुशल प्रशिक्षकों की कमी, कौशल प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता, औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा की कमी को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों के अर्न्तगत लाती है। राष्ट्रीय कौशल नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चार प्रमुख क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है। यह नीति कम आपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, कौशल प्रशिक्षण के लिए उच्च बुनियादी सुविधाओं और कुशल प्रशिक्षकों की कमी आदि कौशल सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रही है तथा राष्ट्रीय कौशल नीति वर्तमान कौशल सम्बन्धी समस्याओं का समाधान निकालने के साथ ही कौशल एवं उद्योगों के सम्बन्ध को मजबूत करने पर भी जोर देती है। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत महिलाओं के कौशल विकास एंव महिला रोजगार सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एंव उद्यमिता के द्वारा महिलाओं में औपचारिक शिक्षा के साथ ही कौशल शिक्षा के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को न केवल उद्यमी संस्थाओं से जोड़ा गया है बल्कि देश में युवा रोजगार के लिए कार्य कर रही सभी गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ जाड़ने पर भी सहमति जताई गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) का संचालन देश में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत मुख्य रूप से समाज के उन वंचित समुहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है जो निचले तबके के हैं तथा

सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं जैसे–अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एंव अल्पसंख्यक समुह। वर्तमान में कुल 7800 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत 23 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है। ;कौशल वार्षिक रिर्पोट,(2017–18) प्रस्तुत कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसके अर्न्तगत स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से युवाओं को इ. लार्निंग की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। जिससे युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य तैयार किया जा सके। अतः स्पष्ट होता है राष्ट्रीय कौशल विकास योजना अपने युवा रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल साबित हो रही है।

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के उद्देश्य

1. सभी वंचित समूहो में विशेषकर युवा महिलाओं, पुरूषों में कौशल के अवसर उपलब्ध कराना ।
2. सभी जरूरतमंद लोगों में कौशल विकास की पहल के लिए प्रतियोगिता को बढावा देना ।
3. वर्तमान में तेजी से बदलती श्रम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर उपयागी एवं उच्च गुणवत्ता वाले कुशल युवा उद्यमी विकसीत करना ।

4. युवाओं मे कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ कौशल मौद्रिक पुरस्कार एवं प्रमाणन प्रदान करना।
5. लगभग 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा 1500 करोड़ रूपये का कौशल वित्त उपलब्ध कराना।
6. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार योग्य बनाना जिससे वे अपनी जीविका सुनिश्चित कर सके।
7. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु कौशल प्रमाणन उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्याय राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एंव युवाओं पर इसका प्रभावः लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्याय में शोध अध्ययन स्वरूप लखनऊ जनपद के दो जोनो क्रमशः आलमबाग जोन–5 तथा पुरनिया जोन–3 से दो कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत 110 उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन स्वरूप चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में शोध अध्ययन स्वरूप दैव निर्दर्शन पद्वति का प्रयोग किया गया है। शोध अध्याय में सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए गए वास्तविक आंकड़ों के संकलन से यह निष्कर्ष निकलता है।

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एक वृहद नीति है। प्रस्तुत नीति के द्वारा बड़े स्तर पर युवाओं को विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास

नीति की शुरूआत 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एंव प्रधानमंत्री कौशल विकास परिषद के माध्यम से किया गया तथा यह भी प्रस्ताव पेश किया गया कि प्रस्तुत कौशल नीति की प्रत्येक पाँच वर्ष बाद कौशल प्रगति स्वरूप समीक्षा की जायेगी। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत कौशल विकास कार्यक्रम को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम (1961) के अर्न्तगत विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया जिसमें आई0टी0आई0 पॉलिटेक्निक, आई0टी0सी0 एंव विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया।

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्देश्य विशेष रूप से उन समूहों में कौशल प्रशिक्षण की पहुँच को सुनिश्चित करना था जो अभी भी सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। जिनमे अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाएँ एवं पुरूषों को कौशल प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया है तथा नीति के अर्न्तगत महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत फीस माफी का भी प्रावधान रखा गया है।
- संसोधित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत कौशल विकास एंव उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) द्वारा अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त करने हेतु इसे कौशल प्रशिक्षण की विभिन्न निजि संस्थाओं से जोड़ा गया है। जिनमे महिंन्द्रा कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र को प्रमुखता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) द्वारा केंन्द्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंव राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं

को कौशल प्रशि़क्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रस्तुत कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं की पूर्व व्यवसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के तहत कौशल प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति प्रशिक्षणकर्ता आठ हजार रूपये प्रदान किए जाता है। प्रस्तुत येाजना के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति से पहले प्रत्येक प्रशिक्षणकर्ता को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रखा गया है।

- यदि हम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) की कौशल प्रशिक्षण एंव रोजगार उपलब्धियों को देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में अब तक कुल (2017–18) के अनुसार 30,427 संख्या में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जबकि (2017–18) के अनुसार 18,174 संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीति के अध्ययन स्वरूप यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में अब तक कुल (2017–18) के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 12,895 संख्या में युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रो मे नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति युवाओं के कौशल प्रशिक्षण एंव रोजगार प्राप्ति लक्ष्य में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर रही है।
- इसके अतिरिक्त शोध अध्याय स्वरूप जब हम कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं की समाजिक, आर्थिक एंव शौक्षणिक स्थिति का विवरण देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। जिसका

प्रतिशत अधिकतम 63.3 है। वही कौशल प्रशिक्षित 30.3 प्रतिशत छात्र निम्न परिवारिक स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं। शोध अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह भी देखा गया कि अधिकतर कौशल प्रशिक्षित छात्रों के पिता का व्यवसाय निजि रोजगार है। जिसका प्रतिशत अधिकतम 39.1 है। वही 24.5 प्रतिशत छात्रों के पिता अपने परिवार के जीवकोपार्जन के लिए कृषि कार्यो में सलंग्न है। इसके अतिरिक्त शोध अध्याय से यह भी निष्कर्ष निकलता है 11.8 प्रतिशत छात्रों के पिता सरकारी नौकरी द्वारा अपने परिवार का जीवनव्यापन कर रहें हैं। वही शोध अध्याय के अर्न्तगत यह भी देखा गया है कि 56.4 प्रतिशत छात्रों के पिता की मासिक आय 10–15 हजार है जिसका प्रतिशत अधिकतम है। वही 8.2 प्रतिशत छात्रों ने कहा उनके पिता की मासिक आय 20–25 हजार है।

- वही हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षित छात्रों की सामाजिक स्थिति का विवरण देखते है तो स्पष्ट होता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में सामान्य जाति के छात्रों का प्रतिशत अधिकतम 40.0 है। वही कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों का प्रतिशत अत्यधिक निम्न 15.5 तथा 3.6 है। वही कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दू धर्म के छात्रों का प्रतिशत अधिकतम 86.4 है तथा 13.6 प्रतिशत मुस्लिम छात्र एवं छात्राएँ कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। वही हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे युवाओं की वैवाहिक स्थिति को देखते हैं तो स्पष्ट होता है अधिकतम 89.0 प्रतिशत छात्र एवं छात्राएँ अविवाहित हैं तथा 10.9 प्रतिशत विवाहित हैं। शोध अध्याय स्वरूप प्रस्तुत आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति तथा

जनजाति की कम संख्या उनमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति निम्न जागरूकता को दर्शाती है।

- इसके अतिरिक्त जब हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में युवाओं की शौक्षणिक स्थिति का विवरण देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हैं उन्होनें इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की है जिसका प्रतिशत अधिकतम 57. 3 है। वही 25.5 प्रतिशत छात्रों ने स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे 7.3 प्रतिशत छात्रों ने परस्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। शोध अध्याय से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिकतम 50.9 प्रतिशत है वही छात्रों की संख्या का प्रतिशत 49.1 है। वही कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षित छात्रों मे (15–20) आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात अधिकतम 50.9 देखा गया। अतः शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रति छात्रों की तुलना मे छात्राएँ अधिक रूचि दिखा रही हैं।
- वही इसके अतिरिक्त जब हम राष्ट्रीय कौशल विकास एंव कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शहरी युवाओं पर प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनमे अधिकतम 30.0 प्रतिशत छात्र एंव छात्राओं को बी0पी0ओं0 कॉल सेन्टर एवं टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही 20.0 प्रतिशत छात्रों को मोबाइल रिपेयर सेन्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही शोध अध्याय स्वरूप कौशल विकास

कार्यक्रम प्रभाव सम्बन्धी विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि 18.8 प्रतिशत छात्रों को बैंकिंग सेल्स अकाउटेन्ट के रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तथा रिटेल सेक्टर में न्यूनतम 7.2 प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही टेलरिंग एंव इलेक्ट्रीशियन पाठयक्रम में कौशल प्रशिक्षित छात्राएँ स्वरोजगार के रूप में कार्य कर रही हैं।

- शोध अध्याय से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कुछ छात्र एवं छात्राएँ जो कि कौशल प्रशिक्षत हैं उन्होने पहले से ही किसी विशेष प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की हुई है। जिनमे 6.3 प्रतिशत छात्रों ने आई0टी0आई0 की शिक्षा प्राप्त की हुई है वही 5.4 प्रतिशत छात्रों ने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त किए हुए हैं तथा 17.2 प्रतिशत छात्रों ने कम्प्युटर प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। शोध अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह भी स्पष्ट होता है कुछ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के समय समस्या का सामना करना पड़ा है। जिनमे 14.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा उन्हें व्यवसाय मार्गदर्शन मे कमी तथा कौशल प्रशिक्षण पाठयक्रम मे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की समस्या का सामना करना पड़ा है। वही कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र में कौशल प्रशिक्षित अधिकतर 96.3 प्रतिशत शहरी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव का अनुभव नही किया गया है। वही अत्यधिक निम्नतम 4.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा है उनके द्वारा प्रशिक्षण के समय भेदभाव का अनुभव किया गया है।

- चयनित किए गए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे कौशल प्रयोगात्मक सम्बन्धी सुविधाओं के विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रायः प्रशिक्षण के समय छात्रों को सभी प्रकार की प्रयोगात्मक सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। जिनमे विभिन्न प्रकार प्रकार के चाट, चित्रों, ग्राफ एंव प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तथा छात्र छा़त्राओं के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हे कौशल प्रयोगशाला भी उपलब्ध करायी जा रही है। सर्वधिक 76.4 प्रतिशत छात्रों ने कहा उन्हे प्रशिक्षण के समय सभी प्रकार की प्रयोगात्मक सुविधाएं प्रदान करायी जा रही हैं।
- शोध अध्याय विवरण स्वरूप यदि हम कौशल विकास कार्यक्रम का युवाओं में प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कौशल प्रशिक्षण केंन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं के दैनिक जीवन मे कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। कौशल विकास द्वारा रोजगार प्राप्त करने के बाद छात्र एंव छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक जीवन में बदलाव आया है तथा कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हे बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही अधिकतर छात्रों ने कहा है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है।
- प्रस्तुत शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य जाति के 4.4 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन मे बदलाव आया है। वही सामान्य जाति के 26.6 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण

प्राप्त करने के बाद उन्हे रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 42.2 प्रतिशत छात्रों ने कहा है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। वही ओ0बी0सी0 के 36.3 प्रतिशत छात्रों का कहना है कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। तथा अनुसूचित जाति के 58.8 प्रतिशत छात्रों ने कहा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। जिसमे से 23.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हे रोजगार प्राप्त हुआ है। जबकि अनुसूचित जनजाति के 25.0 प्रतिशत छात्रों ने कहा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके जीवन मे सभी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं।

अतः प्रस्तुत शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा युवाओं को रोजगार प्राप्त होने के बाद वे आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं जिससे उनके सामाजिक ,आर्थिक जीवन मे बदलाव आया है तथा समाज मे उन्हे सम्मानीय स्थिति प्राप्त हुई है और वे परिवार के जीवकोर्पाजन में सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं ।

सुझाव

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अर्न्तगत कुछ मुख्य सुझाव की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जिससे यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके।

- कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखा

जाये। जिसके लिए आवश्यक है। युवाओं को योग्य कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण की निश्चतता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न कौशल प्रशि़क्षण पाठयक्रमों को सरकारी एंव निजि रोजगार के क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए। जिससे युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर अधिक से अधिक इच्छुक हो।
- सरकार को कौशल प्रशिक्षण के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कराया जाना चाहिए जो कि वस्तविक रूप से नही प्रदान की जा रही है। जिससे यह प्रोत्साहन राशि युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्ति मे सहायता प्रदान कर सके जिससे युवा अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जिससे वह योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके।
- कौशल प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को जिस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है उसका समय–समय पर आकलन करना आवश्यक है। जिससे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बनी रह सके।
- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रयोगात्मक सुविधाएँ समय–समय पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जिससे छात्र एवं छात्राओं में तकनीकी एवं प्रयोगात्मक ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।